महत्वपूर्ण बिंदु / Important Points

1. **नवीन पंजीयन** करने वाले आवेदक विकल्प का चयन कर पंजीयन शुल्क का भुगतान कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

2. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व की चयन प्रक्रिया में दो अवसर प्रदान किए जा चुके हैं, उनका पूर्व में किया गया आवेदन अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं होगा(विकल्प शून्य हो जायेगा)। ऐसे आवेदकों को पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पुनः पंजीयन /चॉइस फिलिंग करना होगा।

3. यदि प्रवेशित अभ्यर्थी पुन: पंजीकरण/चॉइस फिलिंग करता है और आगामी चरण में नई सीट आवंटित होती है, तो पूर्व में प्रवेशित सीट स्वतः ही निरस्त (Cancel) हो जाएगी। **अतः पुनः पंजीयन करने से पूर्व सावधानीपूर्वक निर्णय लें।**

4. यदि किसी आवेदक द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन/पंजीयन के समय श्रेणी, विशेष श्रेणी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, जन्मतिथि, जिला अथवा अन्य किसी जानकारी में **त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि** की गई हो, तो ऐसे आवेदक को पुनः पंजीयन के माध्यम से अपनी **त्रुटि सुधार** करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को निर्धारित पोर्टल शुल्क का पुनः भुगतान करना अनिवार्य होगा, साथ ही ऐसे आवेदक रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार अपने प्राथमिकता क्रम (Preference Order) में परिवर्तन कर सकेंगे।

5. यदि आवेदक को पूर्व की चयन प्रक्रिया में **तीनों चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है** या **प्रथम विकल्प के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प** में **केवल एक बार** सीट आबंटित हुई है और वह अपने प्राथमिकता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसके द्वारा पूर्व में भरा गया प्राथमिकता क्रम यथावत उच्चतर विकल्प के आबंटन हेतु पात्र होगा। ऐसे आवेदक को पूर्व में भरे गए प्राथमिकता क्रम के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आवेदक अपनी प्राथमिकता क्रम (Choice) को रिक्त सीटों के अनुसार पोर्टल शुल्क का भुगतान कर परिवर्तित कर सकेंगे।

6. सीटों का आबंटन उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जाएगा।

---000---